न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 53/2020

बलजीत कौर बनाम कुलदीप सिंह

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता, 151 सी.पी.सी.

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री राजेश गुम्बर अधिवक्ता — प्रार्थी/प्रतिवादी 1 ता 3
2. श्री जीतपाल सैनी अधिवक्ता — अप्रार्थी /वादी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 03.10.2025

वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्यानुसार वादीगण द्वारा उक्त अनवान का वाद माता श्री मति जोगिन्द्रो (प्रतिवादी स03) को चक 15 एफ बड़ा तहसील व जिला श्री गंगानगर के खाता सख्या 71/68 मुरबा न0 4,17,33 के सयुंक्त खाता में 9.9540 है0 में से वादीगण की माता जोगिन्द्रो प्रतिवादी स० 3, तारो, सविन्द्रो के साथ कुल 4.054 है0 में से 1/3 हिस्सा नहरी कृषि भूमि विरासतन प्राप्त हुई है। जिसमें प्रत्येक वादीगण का 1/6, 1/6, 1/6 हिस्सा अर्थात कुल 3/6 हिस्सा बनता है। उक्त सम्पति वादीगण की पैतृक सम्पति है । जिसमें वादीगण का जन्म से हक व अधिकार बनता हैं अर्थात वादीगण 3/6 हिस्सा की घोषणा तथानुसार खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है एवम श्री मति जोगिन्द्रो प्रतिवादी स० 3 द्वारा अपने हिस्सा की 1.353 है0 कृषि भूमि जरिये उपहार पत्र 5.08.2019 को प्रतिवादी स० 1 व 2 के हक में निष्पादन करवा लिया । जो कतई सक्षम नही थी एवम उक्त उपहार पत्र जो प्रारम्भतः शून्य था ।यह कि मौजूदा आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रियां संहिता का निस्तारण महज वाद पत्र के अभिकथनो से किया जाना है जिस हेतु जवाब वाद पत्र की प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है । वादीगण प्रस्तुत वाद पत्र की मद स० 3, 4, 5 का अवलोकन करने तो मद सं. 4, 5 में यह तथ्य अंकित किया गया है कि वादग्रस्त सम्पति वादीगण की जदी जायदाद है एवम दि० 05.08.2019 निष्पादित उपहार पत्र प्रारम्भतः शून्य दस्तावेज है एवम वादीगण यह भी स्वीकार करते है कि वादग्रस्त सम्पति विरासतन प्राप्त हुई है। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि वादग्रस्त सम्पति में से 1.353 है0 कृषि भूमि जोगिन्द्रो प्रतिवादी स० 3 की स्वंय अर्जित सम्पति है। उक्त सम्पति जोगिन्द्रो को आंवटन हुई है। इस सम्बन्ध में दिनांक 30.11.2012 को जिला पुर्नवास अधिकारी, श्री गंगानगर द्वारा जोगिन्द्रो के पक्ष में सनद जारी की गई है। सनद जारी होने के उपरान्त जोगिन्द्रो प्रतिवादी स० 3 के हक में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज हो चुकी थी इसलिए उक्त सम्पति जोगिन्द्रो की स्वय अ[illegible] थी । जिसको पूर्ण हक व अधिकार थे कि वह किसी को भी जरिये उपहार [illegible] निष्पादन करवा सकती थी । सनद की प्रति सलग्न है। [illegible] है जिसको सक्षम न्यायालय सिविल न्यायालय में चु[illegible] जा सकता है। माननीय न्यायालय को पंजीकृत दस्तावेज के सम्बन्ध में सुनने [illegible] क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। वादग्रस्त सम्पति में जोगिन्द्रो प्रतिवादी स० 3 का हिस्सा 1.353 है० कृषि भूमि स्वंयअर्जित सम्पति है। जिसको पूर्ण अधिकार है कि वह किसी के हक में भी निष्पादन करवा सकती है इसलिए वादीगण को वाद कारण उत्पन्न नही होता है। वाद कारण उत्पन्न नही होने

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:28:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

के फलस्वरूप आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सि०प्र०संहिता के प्रावधानो के अर्न्तगत बिना आयन्दा विचारण इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है। विधि के प्रावधान इस सम्बन्ध में स्पष्ट है कि बिना वाद कारण उत्पन्न हुए एवम बिना अधिकारिता के न्यायालय में बोगस कलेम पर आधारित वादो को प्रथम स्तर पर ही दबा देना न्यायालय का कर्तव्य है। जिससे कि अनावश्यक न्यायालयो का समय नष्ट न हो। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य कानूनी है जिनका सर्वप्रथम निर्णय किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र विधिक बिन्दुओ पर एवम सदभाविक तथ्यो प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे निर्णित करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अनवानी वाद विधि से बाधित होने के फलस्वरूप इसी स्तर पर बिना आयन्दा विचारण सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रार्थनापत्र की मद स० 3 जिस प्रकार से दर्ज की है स्वीकार नही है वादीगण ने जोगेन्द्रो की भूमि को जदी जायदाद मानते हुऐ वादपत्र प्रस्तुत किया है परन्तु प्रतिवादी स० 1 ता 3 ने नया कथन करते हुऐ जोगेन्द्रो की स्वयं अर्जित सम्पति होने का कथन किया है तथा दिनांक 30.11.2012 को जिला पुर्नवास अधिकारी श्रीगंगानगर से सनद जारी होने के कथन किया है जबकि इस स्टेज पर प्रतिवादी के प्लीडिंग व दस्तावेजो को देखा नहीं जाना है केवल वादीगण के वादपत्र को ही देखा जाना है जिससे स्पष्ट है कि उक्त वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी से हिट नही होता है। प्रार्थनापत्र की मद स० 4 जिस प्रकार से दर्ज की गई है स्वीकार नहीं है वादीगण का रिलिफ खातेदारी अधिकारो की घोषणा का है जिस सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जोगिन्द्रो का हिस्सा 1.353 स्वयं अर्जित सम्पत्ति है या जददी जायदाद यह तथ्य साक्ष्य के वाद ही विनिश्चित किया जा सकता है आज कि स्थिति में वादीगण के पास वादकारण उपलब्ध है। प्रार्थनपत्र की मद स० 6 गलत होने के कारण अस्वीकार है वादीगण को वाद कारण उपलब्ध है तथा वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थनापत्र की मद स0 7 कानूनी है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में दर्ज बिन्दूओ की हद तक ही निर्णय किया जाना है वाद पत्र की धारा से हिट होता है कही अंकित नही है किसी कानून से हिट होता है कही अंकित नही है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन निवेदन है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज किया जावे

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी की मुख्य बहस यह रही कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की मद संख्या 4, 5 में यह तथ्य अंकित किया गया है कि वादग्रस्त सम्पति वादीगण की जदी जायदाद है एवम दि० 05.08.2019 निष्पादित उपहार पत्र प्रारम्भतः शून्य दस्तावेज है एवम वादीगण यह भी स्वीकार करते है कि वादग्रस्त सम्पति विरासतन प्राप्त हुई है। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि वादग्रस्त सम्पति में से 1.353 है0 कृषि भूमि जोगिन्द्रो प्रतिवादी स० 3 की स्वंय अर्जित सम्पति है। उक्त सम्पति जोगिन्द्रो को आंवटन हुई है। इस सम्बन्ध में दिनांक 30.11.2012 को जिला पुर्नवास अधिकारी, श्री गंगानगर द्वारा जोगिन्द्रो के पक्ष में सनद जारी की गई है। सनद जारी होने के उपरान्त जोगिन्द्रो प्रतिवादी स० 3 के हक में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज हो चुकी थी इसलिए उक्त सम्पति जोगिन्द्रो की स्वंय अर्जित सम्पति थी। जिसको पूर्ण हक व अधिकार थे कि वह किसी को भी जरिये [illegible] यनामा का निष्पादन करवा सकती थी । उपहार पत्र पंजीकृत दस्तावेज है [illegible] न्यायालय सिविल न्यायालय में चुनौती देकर अनुतोष [illegible] लय को पंजीकृत दस्तावेज के सम्बन्ध में सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त [illegible]। वादग्रस्त सम्पति में जोगिन्द्रो प्रतिवादी स०3 का हिस्सा 1.353 है० कृषि भूमि स्व[illegible]र्जित सम्पति है। जिसको पूर्ण अधिकार है कि वह किसी के हक में भी निष्पादन करवा सकती है इसलिए वादीगण को वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:28:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

जवाब बहस में वकील वादी की मुख्य बहस यह रही कि दिनांक 30.11.2012 को जिला पुर्नवास अधिकारी श्रीगंगानगर से सनद जारी होने के कथन किया है जबकि इस स्टेज पर प्रतिवादी के प्लीडिंग व दस्तावेजो को देखा नहीं जाना है केवल वादीगण के वादपत्र को ही देखा जाना है जिससे स्पष्ट है कि उक्त वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी से हिट नही होता है। जोगिन्द्रो का हिस्सा 1.353 स्वयं अर्जित सम्पत्ति है या जददी जायदाद यह तथ्य साक्ष्य के वाद ही विनिश्चित किया जा सकता है आज कि स्थिति में वादीगण के पास वादकारण उपलब्ध है। वादीगण को वाद कारण उपलब्ध है तथा वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। वाद पत्र की धारा से हिट होता है कही अंकित नही है किसी कानून से हिट होता है कही अंकित नही है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. विशेष हर्जाना से निरस्त फरमाया जावे। वकील वादी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त– **RRT 2023 (1) pg. 227, RRT 2018 (1) pg. 534, RRT 2025 (1) pg. 561, Civil Appeal Nos. 1269-1270 of 2019 special Leave Petition (Civil) Nos. 21402&21403 of 2015. D/d. 29.01.2019 Pyarelal versus shubhendra pilania (Minor) Through Natural Guardian (Father) Shri Pardeep kumar pilania & Ors.** पेश किये गये।

बहस उभ्यपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का स्कोप अत्यन्त सीमित होता है। इसमें वाद पत्र में अभिलिखित अभिकथनों के सही होने की अवधारणा की जाती है। सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 में स्पष्ट लिखा है कि :–

(क) जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख)– जहां दावाकृत अनुतोष का मुल्यांकन कम किया है वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग)– जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ)– जहां वाद पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड़)– जहां यह दो प्रतियों में नहीं भरा गया है।

(च)– जहां वादी नियम 9 के प्रावधानों के पालन में असफल रहता है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया ग[illegible] प्रस्तुत वाद पत्र का अवलोकन किया गया। वकील वा[illegible] वाद पत्र की मद संख्या 6 में जोगेन्द्र [illegible] 2 के पक्ष में किये गये पंजीकृत उपहार पत्र को शून्य , प्रारम्भतः शून्य मान कर वाद प्रस्तुत किया गया है एवं जोगेन्द्रो कौर को उक्त भूमि विरास्तन प्राप्त होने का कथ[illegible] किया गया है। इस सम्बन्ध में विधि अनुसार विरास्तन प्राप्त आराजी की महिला एकल स्वमीनी होती है, जिस पर उसका एकल अधिकार होता है। एकल अधिकार की सम्पत्ति को अन्तरित करने के सभी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:28:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अधिकार उसे प्राप्त होते हैं। जोगेन्द्रो कौर द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया उपहार पत्र उसके अधिकार स्वरूप किया गया है अथवा नहीं इसके सम्बन्ध में वादीगण सिविल न्यायालय से उसकी वैधता के सम्बन्ध में चाराजोई करने हेतु स्वतंत्र है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश दिनांक 03.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:28:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner